न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :— जीसीएमएस नंबर 2023 / 111
मैन्युअल नंबर 123 / 2023

रजु दिनांकः :— 27.09.2023

1. हरकेश
2. राजाराम
3. सीताराम
4. रामकिशोर

पि0 स्व0 माधोलाल

5. सन्तरा पुत्री स्व0 माधोलाल
6. बच्ची पुत्री स्व0 माधोलाल
7. राजेन्द्र पुत्र स्व0 बुद्धालाल उम्र 15 वर्ष नाबा0 जरिये संरक्षिका माता तीजो देवी पत्नी बुद्धा लाल
8. तीजो पत्नी स्व0 बुद्धा लाल
   समस्त जाति माली निवासी वार्ड संख्या 18 मण्डावरा की ढाणी कस्बा लालसोट तह0 लालसोट जिला दौसा

(अपीलांट्स)

बनाम

1. केशरीलाल पुत्र कल्याण कौम माली निवासी वार्ड संख्या 18 मण्डावरा की ढाणी लालसोट तह0 लालसोट जिला दौसा।
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तह0 लालसोट जिला दौसा।

(रेस्पोडेन्टस)

<u>अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 2227 कस्बा व तहसील लालसोट, दिनांक 03.04.2002 जो अधीनस्थ तहसीलदार तह0 लालसोट द्वारा खोला गया</u>

उपस्थितः— 01. अपीलांट की ओर से : अधिवक्ता श्री पं0 रामाबाबू शर्मा
02. रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से : अधिवक्ता श्री पंकज शर्मा

मुकदमा नंबर :— जीसीएमएस नंबर 2023 / 149
मैन्युअल नंबर 133 / 2023

रजु दिनांकः :— 27.12.2023

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

1. रामसहाय पुत्र नारायण
2. गिर्राज उर्फ हारया
3. छोटया उर्फ छोटूलाल
4. रामखिलाडी — पि0 रामपाल
5. कालू
6. चौथी
7. गन्दौडी

समस्त जाति माली (सैनी) निवासी मण्डावरा की ढाणी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट तह0 लालसोट जिला दौसा

(अपीलांट्स)

बनाम

1. हरकेश
2. राजाराम — पि0 स्व0 माधोलाल
3. सीताराम
4. रामकिशोर
5. सन्तरा
6. बच्ची पत्नी स्व0 माधोलाल
7. तीजो देवी पत्नी स्व0 बुद्धालाल
   समस्त जाति माली (सैनी) निवासी मण्डावरा की ढाणी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट जिला दौसा
8. राजेन्द्र पुत्र स्व0 बुद्धालाल उम्र 15 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षिका माता तीजो देवी पत्नी स्व0 बुद्धालाल जाति माली निवासी कस्बा लालसोट
9. केशरीलाल पुत्र कल्याण जाति माली निवासी मण्डावरा की ढाणी वार्ड नं0 18 कस्बा लालसोट जिला दौसा
10. उपपंजीयक लालसोट जिला दौसा
11. तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

(रेस्पोडेन्टस)

<u>अपील विरूद्ध तहसीलदार लालसोट द्वारा नामांतरण संख्या 2227 वाकै कस्बा व तहसील लालसोट का आदेश दिनांक 03.04.2002 अ0धा0 75 रा0भू0रा0अधि0</u>

उपस्थितः– 01. अपीलांट की ओर से : अधिवक्ता श्री घनश्याम सैनी
02. रेस्पोडेन्टस 1 लगा0 8 की ओर से : अधिवक्ता श्री पं0 रामबाबू शर्मा
03. रेस्पोडेन्टस सं0 9 की ओर सेः अधिवक्ता श्री प्रकाश चंद शर्मा

निर्णय दिनांकः 27/9/24

संक्षेप में इन दोनो अपीलो में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि अपील संख्या नया नंबर 2023/111 (मैन्युअल नंबर 123/2023) नामांतरण संख्या 2227 कस्बा व तहसील लालसोट

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

दिनांक 03/04/2002 के विरूद्ध हरकेश वगै0 द्वारा प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात् इसी नामांतरण संख्या 2227 के विरूद्ध एक अपील संख्या 2023/149 (मैन्युअल नंबर 133/2023) अपीलाण्ट रामसहाय वगै0 के द्वारा प्रस्तुत की गई जो दिनांक 27.12.2023 को दर्ज हुई। दोनो अपीले एक ही नामांतरण संख्या 2227 दिनांक 03.04.2002 कस्बा व तहसील लालसोट से संबंधित है। अतः सुविधा की दृष्टि से इन दोनो अपीलो का निरतारण एक साथ ही किया जा रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किए गए। तलवी पक्षकारान की गई तथा तहसीलदार लालसोट से मूल अभिलेख तलब किया गया। केशरीलाल की ओर से जवाब दफा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलाण्ट श्री रामबाबू शर्मा ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये है कि नामांतरण संख्या 2227 दिनांक 03.04.2002 तहसीलदार लालसोट ने इल्लीगल प्रोसीडिंग अडोप्ट कर मृतक पन्ना के वारिसान की सही ढंग से जॉच नही की व कल्याण के पुत्र केशरा को पन्ना की विरासत में हिस्सा 1/2 गलत रूप से अंकित कर दिया जबकि केशरा भौरया माली के पुत्र कल्याण का लडका है। उसका मृतक पन्ना की विरासत से कोई सरोकार वास्ता नही है। वकील अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस रेस्पोडेन्टस केशरा के विभिन्न दस्तावेजात यथा राशन कार्ड विवरण की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, सामाजिक सुरक्षा पेंशन विवरण की प्रति, निर्वाचक नामावली सन् 1988 की प्रमाणित प्रति इत्यादि पेश कर निवेदन किया गया की रेस्पोडेन्टस केशरा की वल्दियत उसके उक्त सरकारी दस्तावेजात में कल्याण ही दर्ज है। इस प्रकार यह आईने की तरह स्पष्ट हो जाता है कि रेस्पोडेन्ट केशरा, कल्याण का जायंदा पुत्र है न कि पन्ना का। ना ही पन्ना की विरासत से उसको सरोकार है। वकील अपीलांट ने इस प्रकार अपील के समर्थन में कथन करते हुए अपील स्वीकार की जाकर उक्त नामांतरण संख्या 2227 दिनांक 03.04.2002 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

रेस्पोडेन्ट केशरा की ओर से अधिवक्ता पंकज शर्मा द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश कर ऐतराज उठाया की प्रश्नगत नामान्तरण 22 साल पुराना है। अतः अपील समयावधि से बाहर प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर होने के कारण निरस्तनीय है।

वकील अपीलाण्ट रामबाबू शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन नामांतरण "Ab initio void" (आरंभतः ही शून्य) है। इस आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए मियाद का प्रश्न आडे नही आता है। केशरा, पन्ना के गोद गया है, उसके हक में पन्ना की कोई वसीयत निष्पादित हुई है। इस बात का प्रमाण भी पत्रावली पर पेश नही किया गया है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2002 (1) प्रस्तुत की गई। जिसका ससम्मान अवलोकन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत हू ब हू प्रकरण पर चस्पा भी होता है। वकील रेस्पो0 द्वारा उठाई गई आपत्ति मियाद अस्वीकार की जाती है। अपील जानकारी से विहित समयावधि मानी जाकर बहस सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

बहस सुनने के उपरान्त पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात क[illegible]खा गया। मेरे विनम्र मत में दोनो ही अपीले एक ही नामांतरण से संबंधित है। दोनो में चाही गयी रिलीफ भी एक ही है। अधिवक्ता अपीलाण्ट घनश्याम सैनी द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति भी की है कि दोनो अपीले एक ही नामांतरण से संबंधित है। रिमाण्ड किए जाने में आपत्ति नही है।

अतः अपीलान्ट्स की उक्त दोनो अपील स्वीकार कर नामांतरण संख्या 2227 दिनांक 03.04.2002 वाकै कस्बा व तहसील लालसोट निरस्त किया जाकर तहसीलदार लालसोट को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का मौका दिया जाकर पुनः विरासत के नामांतकरण बाबत निर्णय पारित करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27/9/24 को उभय पक्ष की मौजूदगी में सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा

अति. जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)